वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं के मूल और न्यायिक अधिकारों का हनन

Minakshi Narendra Narnaware
Ph.D. Research Scholar, Department of Law
Mansarovar Global University Bhopal M.P.
E-mail ID- advocateminakshi1984@gmail.com

शोध सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनशील रही है। जहाँ प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त थे, वहीं मध्यकालीन कालखंड में उनकी स्थिति में गंभीर गिरावट आई। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार प्रदान किए, तथा अनेक विधिक प्रावधान और अधिनियम उनके हित की रक्षा हेतु लागू किए गए।

फिर भी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में अनेक ऐसी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक खामियाँ हैं जो महिलाओं के मूल और न्यायिक अधिकारों के हनन का कारण बनती हैं। इस शोध का उद्देश्य भारतीय संविधान और अन्य कानूनों में महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का परीक्षण करना है, साथ ही यह विश्लेषण करना कि सामाजिक, प्रशासनिक, और न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनती है।

शोध में यह पाया गया कि न्यायिक प्रणाली की धीमी प्रक्रिया, पुलिस की निष्क्रियता, सामाजिक पूर्वाग्रह, कानूनी जागरूकता की कमी, और आर्थिक निर्भरता जैसे कारक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, और निर्णयात्मक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों की भी निरंतर उपेक्षा हो रही है।

यह शोध सुझाव देता है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केवल कानूनी सुधार ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, संस्थागत पारदर्शिता, त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास आवश्यक हैं। महिलाओं के अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति एक ऐसे समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की नींव है जहाँ स्त्री को उसका वास्तविक संवैधानिक स्थान मिल सके।

बीज शब्द - महिलाओं के अधिकार, न्यायिक व्यवस्था, संविधान, सामाजिक पूर्वाग्रह, कानूनी जागरूकता, न्यायिक प्रक्रिया, लैंगिक समानता, स्त्री सशक्तिकरण

परिचय

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा से ही संघर्षमय रही है , प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिए गए थे, लेकिन मध्यकाल में उनकी स्थिति में गिरावट आई। स्वतंत्रता के बाद, संविधान द्वारा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए। इसके बावजूद, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को अभी भी समानता और न्याय के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान किसी भी प्रगतिशील समाज की पहचान होती है। भारत के संविधान ने महिलाओं को समानता और न्याय का अधिकार प्रदान किया है। यह सिद्धांत न केवल महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाने का प्रयास करता है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करता हालांकि, सामाजिक और कानूनी ढांचे में कई खामियां अभी भी मौजूद हैं, जो महिलाओं के मूल और न्यायिक अधिकारों का हनन करती हैं , इस लेख में हम इन चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे और समाधान के संभावित उपायों पर विचार करेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता, और सम्मान के अधिकार प्राप्त थे। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद और उपनिषद में महिलाओं की भूमिका का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है , मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रभाव से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इस दौरान महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक पाबंदियां लगाई गईं , स्वतंत्रता संग्राम के समय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए। संविधान ने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, और न्याय का अधिकार दिया।

मौजूदा कानूनी ढांचा

संविधान के प्रावधान

भारतीय संविधान ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए हैं:

1. *अनुच्छेद 14*: सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार।
2. *अनुच्छेद 15*: राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
3. *अनुच्छेद 21*: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।

प्रमुख कानून

1. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** - घरेलू हिंसा को एक रिश्ते में एक वयस्क द्वारा दूसरे को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार के माध्यम से रिश्ते में नियंत्रण और भय की स्थापना है। यह हिंसा शारीरिक हमले, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, सामाजिक दुर्व्यवहार, वित्तीय दुर्व्यवहार या यौन हमले का रूप ले सकती है। हिंसा की आवृत्ति कभी-कभी, कभी-कभी या पुरानी हो सकती है।

"घरेलू हिंसा सिर्फ़ एक तर्क नहीं है। यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर जबरन नियंत्रण करने का एक तरीका है। दुर्व्यवहार करने वाले लोग अपने पीड़ितों पर हावी होने और अपना रास्ता निकालने के लिए शारीरिक और यौन हिंसा, धमकियाँ, भावनात्मक अपमान और आर्थिक वंचना का इस्तेमाल करते हैं।

2. दहेज निषेध अधिनियम 1961: दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए , इस विधेयक का उद्देश्य दहेज देने और लेने की बुरी प्रथां का प्रतिषेध करना है। यह प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है और पद्धतियों में से एक जिसके द्वारा इस समस्या का, जो आवश्यक रूप से सामाजिक है समाधान हेतु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा दिए गए स्त्रियों के संबंधित संपत्ति के अधिकारों को प्रवृत्त करके किया जाना था। तथापि, यह महसूस किया गया था कि वह विधि जो प्रथा को दंडनीय बनाती है और उसी समय यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई दहेज दिया जाता है तो पत्नी के फायदे के लिए प्रवृत्त है तो इससे लोकमत को शिक्षित करने और इस बुराई के उन्मूलन में लम्बा समय लगेगा। संसद् के अन्दर और बाहर दोनों जगह ऐसी विधि के लिए लगातार मांग की जाती रही है। इसलिए यह वर्तमान विधेयक लाया गया है। तथापि इसमें वस्त्र, आभूषणों आदि के रूप में भेटों को जो विवाह में रूढ़िगत है 2000 रुपए से अनधिक ae || के मूल्य के अधीन रहते हुए अपवर्जित किया गया है।

3. यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए , अधिनियम, 9 दिसम्बर, 2013, में प्रभाव में आया था। जैसा कि इसका नाम ही इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में, पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिये भी ये कार्य करता है , हांलाकि, इस अधिनियम में कुछ कमियां भी है जैसे कि ये यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता बस केवल नागरिक दोष माना जाता है जो सबसे मुख्य कमी है, जब पीड़ित इस कृत्य को अपराध के रुप में दर्ज करने की इच्छा रखती है तब ही केवल इसे एक अपराध के रुप में शिकायत दर्ज की जाती है, इसके साथ ही पीड़ित पर अपने वरिष्ठ पुरुष कर्मचारी द्वारा शिकायत वापस लेने के लिये दबाव डालने की भी संभावनाएं अधिक रहती है , इस प्रकार, अधिनियम को एक सही कदम कहा जा सकता है लेकिन ये पूरी तरह से दोषरहित नहीं है और इसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। यहां तक कि अब, पीड़ित को भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत पूरी तरह से न्याय

पाने के लिये अपराधिक उपायों को तलाशना पड़ता है। और फिर, अपराधिक शिकायत धारा 354 के अन्तर्गत दर्ज की जाती है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की विशेष धारा नहीं बल्कि एक सामान्य प्रावधान है।

4. *हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956*: महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए , जबकि संपत्ति के हस्तांतरण से अधिक धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है, असमान और कम हस्तांतरण से अधिक धन असमानता हो सकती है। विशेष रूप से, संपत्ति विरासत उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास शुरू में बहुत अधिक धन और संपत्ति नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, भूमि और संपत्ति एक महिला के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी बन सकती है , हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिलने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा दिया है। कुछ मामलों में, यह महिलाओं के लिए विवाह की आयु भी बढ़ाता है। इसके अलावा, भले ही किसी महिला को संपत्ति विरासत में न मिली हो, लेकिन यह तथ्य कि वह कानून द्वारा ऐसा करने की हकदार है, उसकी सौदेबाजी की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है। भारतीय संदर्भ में, यह वैवाहिक मामलों के मामले में भी अधिक आवाज़ उठा सकता है।

<u>प्रमुख चुनौतियाँ</u>

 # न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब - भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों के निपटारे में अत्यधिक विलंब होता है, जिससे महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति पीड़ित महिलाओं को निराश करती है और उन्हें न्याय से वंचित करती है।

 # पुलिस की निष्क्रियता - सामान्यता पुलिस द्वारा मामलों की जांच में लापरवाही और पीड़ितों के साथ अनुचित व्यवहार महिलाओं के अधिकारों के हनन का कारण बनता है। पुलिस का अनुत्तरदायी रवैया और भ्रष्टाचार भी न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं।

 # सामाजिक दबाव और पूर्वाग्रह - भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और पितृसत्तात्मक मानसिकता आम है। समाज के इस दृष्टिकोण के कारण महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं। पीड़ित महिलाओं को अक्सर सामाजिक दबाव और बदनामी का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें कानूनी सहायता लेने से रोकता है।

 # कानूनी जागरूकता की कमी-कई महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में अपर्याप्त जानकारी रखती हैं। इस जागरूकता की कमी उन्हें न्याय प्राप्त करने में असमर्थ बनाती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानी होती हैं।

 # आर्थिक निर्भरता - आर्थिक रूप से निर्भर महिलाएं न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में कठिनाई महसूस करती हैं। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले खर्च और कानूनी सहायता की कमी भी एक बड़ी बाधा है।

महिलाओं के मूल अधिकारों का हनन

 # शिक्षा की कमी - ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित रखा जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के कारण लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पातीं और समाज में उनकी स्थिति कमजोर रहती है।

 # स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमितता - महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का उचित लाभ नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की कमी और जागरूकता का अभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और गर्भधारण से संबंधित मुद्दों में महिलाओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

 # स्वतंत्रता का हनन - कई बार परिवार और समाज महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं। महिलाओं को अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती और उन्हें पितृसत्तात्मक नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्वतंत्रता सीमित होती है।

 # सुरक्षा का अभाव - महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं आम हैं, जिससे उनके सुरक्षा के अधिकार का हनन होता है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और कार्यस्थल पर उत्पीड़न की घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। पुलिस और न्यायिक प्रणाली की असमर्थता इन मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने में एक बड़ी समस्या है।

न्यायिक अधिकारों का हनन

 # न्यायिक प्रक्रिया में भेदभाव - महिलाओं को आर्थिक आभाव, अपूर्ण जानकारी, मानसिक, सामाजिक दबाब के चलते न्यायिक प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कई बार अदालतों में महिलाओं के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उन्हें उचित न्याय नहीं मिलता।

 # असमान सजा - महिलाओं के अपराधियों को सजा देने में असमानता होती है। कई बार गंभीर अपराधों के बावजूद अपराधियों को सजा नहीं मिलती या सजा में कमी की जाती है। इस असमानता से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है और उन्हें न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

 # कानूनी सहायता की कमी - महिलाओं को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं मिल पाती। न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता की कमी महिलाओं को न्याय प्राप्त करने से रोकती है। गरीब और अशिक्षित महिलाएं इस समस्या से अधिक प्रभावित होती हैं।

सुधार की दिशा में कदम

 # न्यायिक प्रक्रिया में सुधार - न्यायिक प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने के लिए कानूनी सुधार किए जाने चाहिए। न्यायिक प्रणाली में सुधार से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और पीड़ित महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके लिए तकनीकी साधनों का उपयोग और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

 # पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण - पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को महिलाओं के मामलों में संवेदनशीलता और निष्पक्षता बरतने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें न्याय दिलाने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

 # सामाजिक जागरूकता - समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के लिए शिक्षा और संचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।

 # कानूनी सहायता - महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने मामलों को प्रभावी ढंग से लड़ सकें। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उन्हें न्याय प्राप्त करने में मदद करें।

आर्थिक सशक्तिकरण - महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं न्यायिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं के मूल और न्यायिक अधिकारों का हनन एक गंभीर समस्या है। न्यायिक प्रणाली में सुधार, कानूनी जागरूकता बढ़ाने, और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है। एक न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हर महिला को न्याय मिले और उसके अधिकारों का सम्मान हो। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनी ढांचे के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी की जानी चाहिए। तभी हम एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।

संदर्भ (References)

- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार**. *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-III) 2005-06: तथ्य पत्रक*. भारत सरकार, 2006।

- **Asianews.it**. *बढ़ती घरेलू हिंसा.* 5 मार्च 2007 को उद्धृत, 16 मार्च 2007 को अद्यतन। उपलब्ध: http://www.asianews.it
- **भारत सरकार**. *दहेज निषेध अधिनियम, 1961* (हिन्दी संस्करण)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
  उपलब्ध:https://wcd.nic.in/sites/default/files/The%20dowry%20Prohibition%20Act%2C%201961_Hindi%20Version.pdf
- **"भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)"**. विकिपीडिया, मूल से 25 दिसंबर 2015 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि: 26 नवम्बर 2016। उपलब्ध: https://hi.wikipedia.org/wiki
- **"प्राचीन भारतीय इतिहास में नारी की स्थिति एवं मूल्यांकन"**. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, खंड 10, अंक 3, मार्च 2022, ISSN: 2320-2882। उपलब्ध: https://ijcrt.org/papers/IJCRT2203116
- **बत्रा, मंजुला।** स्त्री और कानून: दरिद्रता से सशक्तिकरण की ओर—एक समालोचना. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस, 2001।
- **एग्नेस, फ्लाविया।** कानून और लैंगिक असमानता: भारत में महिलाओं के अधिकारों की राजनीति. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
- **नित्या, गीता।** "भारत में लैंगिक न्याय के प्रति न्यायपालिका की प्रतिक्रियाएँ।" इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज़, खंड 17, अंक 2, 2010, पृ. 211–229।
- **सिंह, इंदु प्रकाश।** भारत में स्त्री, कानून और सामाजिक परिवर्तन. रेडियंट पब्लिशर्स, 1989।
- **शर्मा, अरविंद।** भारतीय धर्मों में महिलाएँ. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, 2021।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961. भारत सरकार – विधि आयोग की रिपोर्टें, www.indiacode.nic.in
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।